तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 42/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22—8—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अभियुक्त लालाराम पुत्र श्री हिमताराम घांची, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार, मरुधर कॉम्पलेक्स के सामने, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही, स्थाई पताः घांचीयों का वास, कालन्द्री, तहसील व जिला—सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 04—3—2025 को मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार, मरुधर कॉम्पलेक्स के सामने, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र श्री हिमताराम घांची से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ खोया (लूज) का नमूना संख्या S-2576, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./888/Act/2025/978 दिनांक 24—3—2025 में अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51, 54 व 58 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13—8—2025 को प्रतिवादी लालाराम पुत्र हिमताराम घांची ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी लालाराम पुत्र हिमताराम घांची द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया जाने से दिनांक 13—8—2025 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने यह अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व ऐसी खाद्य सामग्री भविष्य में विक्रय नही करेगा, इसलिये प्रकरण का निस्तारण करावे।, हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 04—3—2025 को आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार, मरुधर कॉम्पलेक्स के सामने, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील— सिरोही, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी लालाराम पुत्र हिमताराम घांची उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार, मरुधर कॉम्पलेक्स के सामने, वलदरा रोड़, कालन्द्री का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार की दुकान के अन्दर लगभग 50 किलोग्राम खाद्य पदार्थ खोया (लूज) आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खोया (लूज) को वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची को गवाह ......लगातार	

......लगातार

मजि. प्रथम श्रेणी (मुहर)
सिरोही—307001

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	श्री रामसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने उक्त फर्म मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्डार की दुकान के अन्दर आम जनत को विक्रय करने हेतु रखे हुए 50 किलोग्राम खाद्य पदार्थ खोया (लूज) में से एक किलोग्राम खोया (लूज) को एक साफ, सूखे व खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 280/- (अक्षरे रुपये दो अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुए है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने उक्त खरीदशुदा 01 (एक) किलोग्राम खोया को प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली डिब्बों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं उक्त चारों डिब्बों में फार्मेलीन की 20-20 बूंदे डालकर इन चारों डिब्बों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2576, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ खोया (लूज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खोया (लूज) के उक्त चारों नमूना डिब्बों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2576 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया एवं प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 06-3-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 04-3-2025 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर ....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 42/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार, मरुधर कॉम्पलेक्स के सामने, वलदरा रोड़, कालन्द्री में प्रतिवादी विक्रेता लालाराम पुत्र हिमताराम घांची से खाद्य पदार्थ खोया (लूज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ खोया के नमूना संख्या S-2576 की प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:L.S./888/Act/2025/978 दिनांक 24—3—2025 में अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी लालाराम पुत्र हिमताराम घांची, निवासी— घांचीयों का वास, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार, मरुधर कॉम्पलेक्स के सामने, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का खाद्य पदार्थ खोया (लूज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51, 54 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51, 54 व 58 के तहत अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का खाद्य पदार्थ खोया (लूज) (नमूना संख्या S-2576) विक्रय करने से प्रतिवादी लालाराम पुत्र हिमताराम घांची, निवासी— घांचीयों का वास, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मां तनोटराय मिष्ठान भण्ड़ार, मरुधर कॉम्पलेक्स के सामने, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही पर राशि रुपये 35,000/— (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी लालाराम पुत्र हिमताराम घांची, निवासी— घांचीयों का वास, कालन्द्री, तहसील व जिला— सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01—10—2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)